



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125630

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1754 वर्ष 2026

राजा गोस्वामी उर्फ सुमित

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता: शिवानंद मिश्रा, सूरज उपाध्याय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पुनरीक्षित पुकारा में मामला सुना गया। नोटिस तामील होने के बावजूद, अपीलकर्ता की ओर से इस अपील को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।
2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
3. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें इटावा के विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी.ए.) द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 294/2025 (धारा- 105 बी.एन.एस. और एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम की धारा 3(1)(ध) व 3(2)वी; थाना- भरथना, जिला- इटावा) में जमानत अर्जी संख्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2591/2025 (राजा गोस्वामी उर्फ सुमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) पर 23.12.2025 को पारित जमानत खारिज करने के आदेश को रद्द करने और अपीलकर्ता को उक्त मामले में जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11.09.2025 को शाम लगभग 7:20 बजे, जब शिकायतकर्ता और उसका बेटा गौरव अपने घर के बरामदे में बहस कर रहे थे, तो अपीलकर्ता-आरोपी राजा गोस्वामी उर्फ सुमित मौके पर पहुंचा और कथित तौर पर गौरव के साथ जाति-सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की और उस पर हमला किया। हमले के कारण गौरव ज़मीन पर गिर गया, बेहोश हो गया और उसकी नाक और मुँह से खून बहने लगा। उसे इलाज के लिए ज़िला अस्पताल, इटावा ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। कथित तौर पर शिकायतकर्ता की पत्नी आशा देवी और कॉलोनी के अन्य निवासियों ने यह घटना देखी थी।

5. अपील करने वाले के अधिवक्ता ने कहा कि अपील करने वाले का कथित अपराध करने का कोई इरादा नहीं था और वह उस जगह पर सिर्फ मृतक और उसके पिता के बीच झगड़ा सुलझाने गया था। यह तर्क दिया गया है कि अपील करने वाले के पास कथित अपराध करने का कोई मकसद नहीं था और मृतक, शराब के नशे में होने के कारण, गलती से ज़मीन पर गिर गया और उसके सिर के पिछले हिस्से (ऑक्सिपिटल एरिया) में चोट लग गई; इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह 19.09.2025 से जेल में बंद है।

6. इसके उलट, राज्य के अधिवक्ता ने अपील और जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मृतक को 14 चोटें आई थीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत की वजह सिर पर लगी चोटें (जो मौत से पहले लगी थीं) थीं। साथ ही यह भी कहा गया कि चोटों की प्रकृति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और संख्या से साफ़ तौर पर अपीलकर्ता की इसमें शामिल होने का पता चलता है। हालाँकि, एजीए ने निष्पक्ष रूप से माना कि कथित अपराध करने के लिए अपीलकर्ता का कोई खास मकसद नहीं बताया गया है।

7. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह न्यायालय पाती है कि भले ही मृतक को कई चोटें आई थीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत की वजह सिर पर लगी चोटें (मौत से पहले लगी चोटें) थीं, लेकिन अपीलकर्ता पर कथित अपराध करने का कोई खास मकसद नहीं बताया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि घटना के समय मृतक शराब के नशे में था और ज़मीन पर गिर गया था, और अपीलकर्ता का कथित अपराध करने का कोई इरादा नहीं था। यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता घटनास्थल पर केवल मृतक और उसके पिता के बीच विवाद को सुलझाने गया था। अपीलकर्ता 09.02.2026 से न्यायिक हिरासत में है।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और पहले ही काटी जा चुकी सज़ा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि अपीलकर्ता ज़मानत पाने का हकदार है।

9. अपीलकर्ता - **राजा गोस्वामी उर्फ सुमित** को ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या के मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम की दो ज़मानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार देनी होंगी। साथ ही, न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगा या परेशान नहीं करेगा।

ii) अपीलकर्ता न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, हर तारीख पर न्यायालय में हाज़िर होगा और किसी भी तरह से विचारण के निस्तारण में देरी नहीं करेगा।

iii) अपील करने वाले को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

iv) अपील करने वाला व्यक्ति ज़मानत की आज़ादी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर अपील करने वाला व्यक्ति विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है और उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बीएनएस की धारा 84/सीआर.पी.सी.की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और अगर अपील करने वाला व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार, बीएनएस की धारा 209/आई.पी.सी. की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

v) अपील करने वाला व्यक्ति विचारण न्यायालय के सामने तय तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेगा, जो इस प्रकार हैं: (1) मुकदमा की शुरुआत, (2) आरोप तय करना और (3) बीएनएस की धारा 251/सीआर.पी.सी.की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय की राय में अपील करने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी ठोस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारण के हैं, तो विचारण न्यायालय के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसी चूक को ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल माने और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करे, और विचारण न्यायालय उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 269/भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकता है।

vi) विचारण न्यायालय अपील करने वाले व्यक्ति की रिहाई के बाद विचारण को तेज़ी से पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास/कोशिश कर सकता है।

10. ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और रिहायशी पते के सबूत की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को ज़मानत रद्द करने और अपील करने वाले को जेल भेजने का अधिकार होगा।

11. इस प्रकार, अपील सफल होती है और इसे मंज़ूर किया जाता है।

12. इटावा में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट द्वारा 23.12.2025 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

4 जून, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।